रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5081] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 26, 2018/पौष 5, 1940
No. 5081] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 26, 2018/PAUSHA 5, 1940

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2018

का.आ. 6322(अ).—केन्द्रीय सरकार ने चीनी मौसम 2018-19 के दौरान चीनी का निर्यात सुगम बनाने और इस प्रकार चीनी मिलों को चीनी मौसम 2018-19 के लिए किसानों के गन्ना मूल्य बकाया का निपटान करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से दिनांक 5 अक्तूबर, 2018 की अधिसूचना सं. 1(14)/2018-एसपी-1 द्वारा आंतरिक परिवहन, मालभाड़े, हैंडलिंग तथा निर्यात पर अन्य प्रभार पर किए गए व्यय के भुगतान हेतु एक स्कीम अधिसूचित की थी।

2. अब उक्त अधिसूचना के पैरा 6 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अधिसूचना का पैरा 3 (vi) निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

"**3 (vi).** जो चीनी मिल चीनी रिफाईनरी के माध्यम से अग्रिम प्राधिकार स्कीम (एएएस) के अंतर्गत जारी लाइसेन्स के अवैधीकरण द्वारा घरेलू चीनी विनिर्माता से निविष्टि के रूप में प्राप्त रॉ चीनी अथवा खुले सामान्य लाइसेन्स (ओजीएल) आधार पर प्राप्त रॉ/श्वेत चीनी के मूल्य वर्धन के माध्यम से रिफाईंड चीनी का निर्यात करती है, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने घरेलू तौर पर विनिर्मित चीनी का निर्यात किया है। जिस चीनी मिल ने यथास्थिति मूल रूप से रॉ/श्वेत चीनी का विनिर्माण किया है अथवा तीसरे पक्षकार के माध्यम से निर्यात के मामले में एमआईईक्यू धारक है, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने एमआईईक्यू के अंतर्गत निर्यात बाध्यता को पूरा कर लिया है और वह इस प्रकार निर्यात की गई रिफाईंड चीनी की मात्रा के बारे में उपर्युक्त स्कीम में उल्लिखित सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होगी। इस संबंध में रॉ/श्वेत चीनी विनिर्माता, एमआईईक्यू धारक यदि चीनी विनिर्माता और चीनी रिफाइनरी भिन्न हैं, तो उक्त प्रयोजनार्थ यथास्थिति द्विपक्षीय/त्रिपक्षीय करार निष्पादित करेगा (करेंगे)। रिफाइनरी को भी गैर-न्यायिक स्टैम्प पेपर पर यह घोषित करते हुए अभिवचन प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि रिफाईंड चीनी की मात्रा का निर्यात घरेलू चीनी मिल से रॉ/श्वेत चीनी प्राप्त करके किया गया है और यदि वह चीनी विनिर्माता नहीं है, तो चीनी मिल (मिलों) और

एमआईईक्यू धारक (धारकों) के नाम का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। ऐसी रिफाइंड चीनी के निर्यात से संबंधित शिपिंग बिलों में भी ऐसे रॉ/श्वेत चीनी विनिर्माता (विनिर्माताओं)/एमआईईक्यू धारक (धारकों) के नाम का उल्लेख किया जाना चाहिए।"

[फा. सं. 1(14)/2018-एसपी -1]
जी. एस. साहू, निदेशक (शर्करा नीति)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2018

S.O. 6322(E).—Whereas, the Central Government, with a view to facilitate export of sugar during the sugar season 2018-19 thereby improving liquidity position of sugar mills enabling them to clear cane price dues of farmers for sugar season 2018-19, notified the Scheme for defraying expenditure towards internal transport, freight, handling and other charges on export vide notification No. 1(14)/2018-SP-I dated the 5th October, 2018.

2. Now, in pursuance of Para 6 of the said notification, the Central Government has decided that para 3(vi) of the notification may be read as under:

"**3(vi)**. The sugar mills which export refined sugar through the sugar refinery by way of value addition to either raw sugar obtained as input from the domestic sugar manufacturer by invalidation of license issued under the Advanced Authorization Scheme (AAS) or raw/white sugar through Open General License (OGL) basis shall be considered to have exported domestically manufactured sugar. The sugar mill which has originally manufactured the raw/white sugar or MIEQ holder in case of export through third party, as the case may be, shall be deemed to have fulfilled export obligation under MIEQ and shall be eligible to receive assistance referred to in the above Scheme in respect of the quantity of refined sugar so exported. In this regard, the raw/white sugar manufacturer(s), MIEQ holder(s) if other than the sugar manufacturer and the sugar refinery for that purpose shall enter into bi-partite/ tripartite agreement as the case may be. The refinery is also required to submit an undertaking on a non-judicial stamp paper declaring that the quantity of refined sugar has been exported by sourcing raw/white sugar from the domestic sugar mills clearly indicating the name of sugar mill(s) and MIEQ holder(s) if other than sugar manufacturer. The name(s) of such raw/white sugar manufacturer(s)/MIEQ holder(s) should also be indicated in the shipping bills relating to export of such refined sugar."

[F. No.1(14)/2018-SP-I]
G.S. SAHU, Director (Sugar Policy)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.01.02 14:59:25 +05'30'